राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 121/2021
जीसीएमएस नम्बर – 2021/295

माया देवी पत्नि बाबुलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी गोयल कॉलोनी महेश्वरी तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि.)

– बनाम –

1. ईश्वरसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. उगमसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. गिरवरसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

   3/1 सुशीला कवंर पत्नी गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना
   जिला झुन्झुनू (राज.)
   3/2 सीमा पुत्री गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना
   जिला झुन्झुनू (राज.)

4. फुला देवी पत्नि सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
5. शंकरसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. श्योबाई पत्नि जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. संग्रामसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुगना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:27:58 IST
Reason: SelfAttested

सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा – खाता विभाजन , स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03–06–2022

(1). वादीया की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

1. यह कि वाके ग्राम बडबर तह. बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमी ख.न. 386 रकबा 2.84 हैक्टर ख.न 397 रकबा 0.53 हैक्टर किता 2 रकबा 3.37 हैक्टर मे 1001/3370 हिस्सा की खातेदार वादीया है जो अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है इसी भूमि से सटकर वादीया की भूमि ख.न. 393 एवं 394 ,395 व 1100 स्थित है इस प्रकार वादीया अपने 1001/3370 हिस्सा अर्थात 1.00 है. रकबा विभाजन मे अपनी भूमि ख.न. 393, 394, 395, 1100 से सटकर ही प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 का 1/1011 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 1 की जाति ब्राहम्ण वं निवासी गोयल कोलोनी महेश्वरी रेवाड़ी गलत दर्ज किया गया है वह गांव बडबर का निवासी है एवं पूर्व मे ग्राम पंचायत बडबर का सरपंच भी रहा है तथा प्रतिवादी सं. 2 कां 1/1011 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 6 का भी 1/1011 हिस्सा है वह भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 की माता है एवं गांव बडबर की निवासी है प्रतिवादी स. 2 व 6 की जाति ब्राहम्ण एवं निवास गोयल कोलोनी महेश्वरी तह. व जिला रेवाड़ी गलत दर्ज़ किये है वे गांव बडबर के ही निवासी है प्रतिवादी सं. 3 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 7 का 1/10 हिस्सा है यह भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने प्रतिवादी सं. 8 से ऋण ले रखा है।

3. यह कि वादीया का भूमि ख.न. 386 व 397 किता 2 रकबा 3.37 है. मे 1001/3370 हिस्सा है वादीया अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारीणी है तथा वह विभाजन मे अपने हिस्से के रकबा को अपनी इसी भूमि से सटकर स्थित भूमि ख.न. 393 एवं 394, 395 से सटकर ही प्राप्त करने की अधिकारीणी है जिससे की वह अपना सम्पूर्ण रकबा एक साथ कास्त कर सके जबकि सम्पूर्ण भूमि की किस्म भी एक ही है एवं इसका मूल्याकंन भी समान है।

4. यह कि वादीया ने संयुक्त खातेदारो को विभाजन हेतु कहा तो वे एकत्रित नही हुये एवं आना कानी करने लगे वादीया अपने 1001/3370 हिस्सा का खाता विभाजन करवाने एवं इसका सीमाकंन एवं मापन कर विभाजन करवाने की अधिकारीणी है यदि खाता संयुक्त रहता है तो वह अपनी सीमाऐ कायम नही कर पायेगी एवं अन्यत्र उपयोग नही कर पायेगी जिससे वादीया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन नही किया जा सकेगा।

5. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादीया का 1001/3370 हिस्सा होने व यह भूमि संयुक्त खातेदारी की होने तथा इस भूमि से लगती हुई वादीया की दूसरी भूमि ख.न. 393, 394 एवं 395 होने व वादी के हकदार ही इस विवादित भूमि मे अपने हिस्सा को विभाजन मे प्राप्त करने की अधिकारीणी होने तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:27:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी पुलिस
जिला झुन्झुनूं (राज.)

7 द्वारा खाता विभाजन हेतु सहमति से एकत्रित नही होने व वादीया के हिस्से मे निर्माण कर विशिष्ट भाग को अपने कब्जा मे लेने की कोशिश करने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

6. यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 इस भूमि के संयुक्त खातेदार होने व प्रतिवादी सं. 8 ने प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ऋण देने एवं प्रतिवादी सं. 9 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

7. यह कि वाद वर्णित कृर्षि भूमी वाके ग्राम बडबर मे स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में स्थित हैं इसलिए यह वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

8. यह कि दावा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस दावा खाता विभाजन के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस अर्थात् दावा कुल 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।
9. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति में हैं एवं वाद पत्र के समर्थन मे वादीया का शपथ पत्र पेश हैं।
10. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश हैं वादीया ने उसको बेचान नही किया हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(A). कि वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 386 रकबा 2.84 है., ख.न. 397 रकबा 0.53 है.किता 2 रकबा 3.37 है. मे वादीया के 1001/3370 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित किया जाकर वादीया को विभाजन मे उसकी भूमि ख.न. 393 ख.न. 394 ख.न. 395 से सटकर विभाजन मे आने वाला रकबा दिया जाने को प्राथमिकता दिये जाने की कृपा करे एवं लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाये जाने की कृपा करे।

(B). कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाके ग्राम बडबर स्थित ख.न. 386 रकबा 2.84 है., ख.न. 397 रकबा 0.53 है. किता 2 रकबा 3.37 है. के किसी भी भाग पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही करे एवं वादीया को ख.न. 395 से सटकर 1001/3370 हिस्सा अर्थात 1.00 है. रकबा कास्त करने से नही रोके उसमें बाधा कारित नही करे एवं ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे।

(C). कि प्रतिवादी 1 व 2 एवं 6 की जाति ब्राहमण निवासी गोयल कॉलोनी महेश्वरी तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि.) के स्थान पर जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) दर्ज कर दुरूस्त किये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री [illegible] पटेल एडवोकेट द्वारा दिनांक 31–08–2021 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। [illegible] आज दिनांक 03–06–2022 तक जाबाव प्रस्तुत नही किया गया। इनकी [illegible] जबाव बन्द किया जाता है। शेष प्रतिवादीगण [illegible] इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर में लाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:27:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78,नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने भी मौके पर कब्जेकास्त एंव राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन करने की सहमति है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। अतः न्यायालय वाद वादीखाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीया बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 386 रकबा 2.84 है., ख.न. 397 रकबा 0.53 है.किता 2 रकबा 3.37 है. मे वादीया के 1001/3370 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित किया जाकर वादीया को विभाजन मे उसकी भूमि ख.न. 393 ख.न. 394 ख.न. 395 से सटकर विभाजन मे आने वाला रकबा दिया जाने को प्रांथमिकता देते हुए वादीया का मौके पर कब्जेकास्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना को 700 रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को दृष्टिगत् रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारिख पेशी 30–06–2022 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। (2). रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 03-06-2022 को मेरे द्वारा [illegible] आकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:27:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 121/2021
जीसीएमएस नम्बर – 2021/295

माया देवी पत्नि बाबुलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी गोयल कॉलोनी महेश्वरी तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि.)

– बनाम –

1. ईश्वरसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. उगमसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. गिरवरसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

   3/1 सुशीला कवंर पत्नी गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना
   जिला झुन्झुनू (राज.)
   3/2 सीमा पुत्री गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना
   जिला झुन्झुनू (राज.)

4. फुला देवी पत्नि सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
5. शंकरसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. श्योबाई पत्नि जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. संग्रामसिंह पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा [illegible] बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू

दावा बाबंत –खाता विभाजन एवं [illegible] निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:27:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीया की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की में उपस्थिति मे तथा प्रतिवादी संख्या 5 की और से श्री दयाराम पटेल एडवोकेट की अनुपस्थिति में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **03–06–2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीया बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 386 रकबा 2.84 है., ख.न. 397 रकबा 0.53 है.किता 2 रकबा 3.37 है. मे वादीया के 1001/3370 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित किया जाकर वादीया को विभाजन मे उसकी भूमि ख.न. 393 ख.न. 394 ख.न. 395 से सटकर विभाजन मे आने वाला रकबा दिया जाने को प्राथमिकता देते हुए वादीया का मौके पर कब्जेकास्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना को 700 रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को दृष्टिगत् रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारिख पेशी 30–06–2022 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। (2). रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **03–06–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:27:58 IST
Reason: SelfAttested